बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0संख्या–भवन / 10–विविध–07–06 / 2023.........4945(भ)........(भ) पटना, दिनांक–04/6/24

:: अधिसूचना ::

श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा आवास संख्या–32A, हार्डिंग रोड, पटना में जीर्णोद्वार कार्य हेतु कनीय अभियंता द्वारा गठित निम्न कार्यो का प्राक्कलन, कार्यपालक अभियंता द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल को अग्रसारित किया गया। बगैर जाँच किये प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल के माध्यम से मुख्य अभियंता (पटना) को अग्रसारित किया गया :–

- **i.** Renovation of Residential Office in Residence No-32A at Harding Road, Patna for the year 2022-23 (Smt Bima Bharti M.L.A)
- **ii.** Renovation of Campus Development in Residence No-32A Harding Road, Patna for the year 2022-23 (Part-I) (Occupancy Smt. Bima Bharti, M.L.A)
- **iii.** Renovation of Campus Development in Residence No-32A Harding Road, Patna for the year 2022-23 (Part-II) (Occupancy Smt. Bima Bharti, M.L.A)
- **iv.** Renovation of Bathroom in Residence No-32A Harding Road, Patna for the year 2022-23 (Occupancy Smt. Bima Bharti, M.L.A)

2. इन कार्यो के सैद्धान्तिक सहमति की कार्रवाई के क्रम में उक्त आवास स्थल पर पूर्व से पर्याप्त निर्माण होने की दशा में अतिरिक्त निर्माण कार्य के औचित्य के बिन्दु पर विभाग द्वारा भू–सम्पदा पदाधिकारी से प्रस्तावित कार्यस्थल का निरीक्षण कराया गया। भू–सम्पदा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्राक्कलन के क्रमांक–01 एवं 04 में गठित प्राक्कलन प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से पर्याप्त सुविधाएँ मौजुद रहने के कारण अनावश्यक माना गया। विभाग द्वारा यह भी पाया गया कि नये निर्माण के प्राक्कलन में Renovation शब्द अंकित कर प्राक्कलन अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया गया है, जो विभागीय प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा विभाग को गुमराह करने का प्रयास है। साथ ही बिना आवश्यकता के ही निर्माण कार्यो का प्राक्कलन गठन करना विभागीय प्रावधानों के विरूद्ध है। मुख्य वास्तुविद का अनुमोदन नये निर्माण के लिए आवश्यक है।

3. उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री मंडल के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–1532(भ0) दिनांक–15.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

4. श्री मंडल के पत्रांक–शून्य दिनांक–25.12.2025 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मंडल नये निर्माण कार्यो के प्राक्कलन में Renovation शब्द अंकित करने तथा प्राक्कलन को बिना विधिवत जाँच किये ही अग्रसारित करने का दोषी है।

कृ0पृ0उ0

Gopal

5. अतः श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 (ख) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

i. ''एक वर्ष के लिए पाँच प्रतिशत पेंशन की कटौती।''

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–विविध–07–06 / 2023...4945(7)... पटना, दिनांक– 04/6/24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / ई0–गजट कोषांग एवं वित्त (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–विविध–07–06 / 2023...4945(7)... पटना, दिनांक– 04/6/24

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / सभी अपर सचिव / सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–विविध–07–06 / 2023...4945(7)... पटना, दिनांक– 04/6/24

प्रतिलिपिः–उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–88(बी), 206, विद्या कुंज अपार्टमेंट, मेंहदी उत्सव पैलेस, आनन्दपुरी, पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पोस्ट–जी0पी0ओ0, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Gopal

D//Sanjay Singh//Gopal Jee-2024//Adhisuchna. Adesh